भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2822

05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्य राजसहायता प्रतिपूर्ति राशि को जारी करने में विलंब

2822. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और संबद्ध योजनाओं के अंतर्गत 1,079.34 करोड़ रुपये की खाद्य राजसहायता प्रतिपूर्ति की लंबित राशि जारी करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मैपर रिपोर्ट के मुद्दों, खाद्यान्न के अतिरिक्त वितरण, परिवहन संबंधी दावों, लेखापरीक्षा को अंतिम रूप दिए जाने तक लंबित सामान्य कटौती और अनुपूरक बिलों से संबंधित बकाया राशि सहित लंबित दावों का घटक-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक घटक के निपटान न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने केरल राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा प्रस्तुत दावों की जांच की है और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का केरल राज्य सरकार को पात्र लंबित राशि जारी करने का विचार है और यदि हां, तो बकाया राशि के भुगतान के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ड.) सरकार द्वारा समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): जी हां।

...2/-

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) केरल सहित उन राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है जिन्होंने विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति को अपनाया है, ताकि भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को केंद्रीय पूल के लिए सुपुर्द किए गए खाद्यान्न की मात्रा के लिए निधि भी जारी की जाती है। एफसीआई और डीसीपी राज्यों को आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी), जिसपर राज्यों को खाद्यान्न जारी किए जाते हैं, के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति खाद्य सब्सिडी के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त, खाद्य सब्सिडी जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। सब्सिडी दावों पर स्टॉक के अथ और अंत शेष, खरीद, आवंटन, खाद्यान्न वितरण, एफसीआई के लेखा समाधान, उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाती है। डीसीपी राज्यों और एफसीआई को जारी की जाने वाली खाद्य सब्सिडी वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार होती है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा राज्य-वार धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा केरल सरकार को स्वीकार्य अनंतिम सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के संबंध में, राज्य को अपने स्टॉक संचलन संबंधी विवरण को संशोधित करने और स्कैन पोर्टल पर पूरक दावा प्रस्तुत करने के लिए सूचित कर दिया गया है।

इसके अलावा, सभी राज्यों के लिए लागू अंतिम निपटान की एकसमान प्रक्रिया के अनुसार, राज्य संबंधित वर्षों के लिए लेखापरीक्षित खातों को अंतिम रूप देने/निपटान के समय किसी भी अतिरिक्त स्वीकार्य सब्सिडी का दावा कर सकता है।

वर्ष 2017-18 से पीएमजीकेएवाई के तहत केरल सरकार को जारी की गई खाद्य सब्सिडी का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ड.): एनआईसी के सहयोग से विकसित एनएफएसए (स्कैन) पोर्टल के लिए सब्सिडी दावा आवेदन एनएफएसए के तहत खाद्य सब्सिडी का आवेदन करने, प्रक्रिया और जारी करने के संबंध में एक संपूर्ण ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। यह पोर्टल सब्सिडी दावों के अनंतिम और अंतिम दोनों चरणों को कवर करता है, जिसमें राज्यों द्वारा आवेदन जमा करने से लेकर बिलों और लागत पत्रों की जांच तथा एफसीआई और डीसीपी राज्यों को सब्सिडी जारी करना शामिल है। डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों के अनुरूप, स्कैन समय की बचत, सटीकता और जवाबदेही में सुधार करता है, वास्तविक समय में ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है, मानवीय मध्यस्थता और लागत को कम करता है तथा पारदर्शिता बढ़ाता है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 05.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2822 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2017-18 से डीसीपी मोड के तहत केरल राज्य सरकार को जारी की गई खाद्य सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**धनराशि (करोड़ रुपए में)**
2017-18	782.06
2018-19	620.23
2019-20	469.30
2020-21	1214.98
2021-22	1777.86
2022-23	1544.89
2023-24	1151.85
2024-25	1062.36
2025-26	900.51
2026-27 (दिनांक 03.08.2026 की स्थिति के अनुसार)	203.94

अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, सभी एएवाई और पीएचएच लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया।
